न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयुपर।

बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र सं0 19/2019 निर्णय दिनांक 17.02.2021

1. विमल पुत्र स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम राजारामपुरा पेट्रोल पंप के पास, सीकर रोड, तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1/3

बनाम

1. डॉ. शैलेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र डॉ. बहादुर सिंह सोलंकी जाति राजपूत निवासी भूखण्ड संख्या जी—15 जनपथ, श्याम नगर, तहसील व जिला जयपुर

—अप्रार्थी संख्या—1/वादी

2. गुलाब देवी पत्नी स्व0 जगदीश
3. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 जगदीश
4. श्रवण पुत्र स्व0 जगदीश

जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजारामपुरा पेट्रोल पंप के पास सीकर रोड तहसील आमेर जिला जयपुर

—अप्रार्थी संख्या—2 ता 4/प्रतिवादी सं0 1/1, 1/2 व 1/4

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908

दिनांक 17.02.2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित किया गया हैं कि न्यायालय में पेश वाद संख्या 66/2012 बउनवानी डॉ. शैलेन्द्र सिंह सोलंकी बनाम स्वर्गीय जगदीश जरिये विधिक प्रतिनिधि अंतर्गत धारा 183 सपठित धारा 92(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को एकपक्षीय रुप से निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 के द्वारा बहक वादी निस्तारित किया है।

मिन प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1/3 को उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 की जानकारी कतई नहीं थी, जो सर्वप्रथम दिनांक 17.11.2019 को तब हुई जब अप्रार्थी सं0 1/वादी मौके पर आया तथा यह धमकी दी कि मिन प्रार्थी व उसके घरवाले राजीखुशी से विवादित भूमि को छोडकर नहीं जायेंगे तो वह अपने पक्ष में दिनांक 27.09.2019 को कराये गये फैसले के आधार पर पुलिस की ताकत से सबको खदेड देगा। उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार निर्णय व डिक्री निम्न आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य है:-

(क) उपरोक्त वाद मूलतः जगदीश के विरुद्ध पेश किया गया था, जिनका दौराने वाद देहावसान हो जाने पर वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 03.12.2014 को एक आवेदन प्रस्तुत कर उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

किया, जिनमे मिन प्रार्थी भी शामिल है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2014 को एकपक्षीय रुप से स्वीकार कर लिया, जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने से पूर्व उपरोक्त प्रार्थना पत्र के नोटिस मूल प्रतिवादी स्वर्गीय जगदीश के सभी वारिसान को तामील कराये जाने आवश्यक थे, परन्तु तदनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया गया एवं उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के उपरांत विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये, जो समन बनाम कायम मुकामान वाले जारी किये जाने थे, परन्तु अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उपरोक्तानुसार सम्मन भेजे जाने के बजाय विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन जारी किये गये हैं एवं अभिलेख पर उपरोक्त समन मौजूद है उन पर तामील कुन्निदा की न तो सशपथ रिपोर्ट है एवं न ही उपरोक्त रिपोर्ट तामील कुन्निदा के अधिकारी द्वारा सत्यापित है, उपरोक्त सम्मन कभी भी मिन प्रार्थी व मिन प्रार्थी के परिवार वालों को प्राप्त नहीं हुए। वादी छल, कपट व धोखा करने का आदी है एक अन्य इस तथ्य से भी साबित है कि हस्तगत वाद दिनांक 02.05.2012 को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया था कि विवादित संपत्ति पर जगदीश ने कब्जा कर रखा है जबकि इस मामले की विचारधीनता के दौरान एक अन्य वाद दिनांक 04.08.2014 को वादी ने एक राजस्व न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित संपत्ति पर वह खुद काबिज काश्त है एवं जगदीश व उसके परिवारजन वाले उसे बेदखल करने की धमकी देते हैं लिहाजा इन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उपरोक्त पश्चातवर्ती वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर दक्षिण के समक्ष राजस्व वाद संख्या 156/2014 बउनवानी डॉ. शैलेन्द्र सिंह बनाम जगदीश वगैरह के रुप में सूचीबद्ध है। इस प्रकार यह साबित है कि हस्तगत मामलें में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों की सम्यक तामील नहीं हुई है तथा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 की जानकारी भी मिन प्रार्थी को उपर वर्णितानुसार दिनांक 17.11.2019 को हुई है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 को अपास्त फरमाई जाकर उपरोक्त मामले में मूल प्रतिवादी स्व0 जगदीश के विधिक प्रतिनिधियों को सुनवाई का मौका देते हुए गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण की तलबी [illegible]

वादी/अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की सम्यक तामील होने के पश्चात भी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद सं0 66/2012 बउनवानी डॉ. शैलेन्द्र सिह सोलंकी बनाम स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.28 15:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

जगदीश जरिये विधिक प्रतिनिधि दिनांक 27.09.2019 को सही रुप से एकपक्षीय डिक्री फरमा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विमल के विरुद्ध न्यायालय हाजा में ही एक अन्य वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 156/2014 उनवानी डॉ0 शैलेन्द्र सिंह सोलंकी बनाम जगदीश विचाराधीन है जिसमें उक्त प्रार्थी विमल ने प्रतिवादी संख्या 2 की हैसियत से जवाबदावा दिनांक 20.12.2016 को प्रस्तुत किया था, जिसकी मद संख्या 1 में यह स्वयं प्रार्थी विमल ने अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश का आधिपत्य होना वादी ने स्वीकार कर रखा है तथा उपरोक्त पूर्ववर्ती लंबित वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश की दिनांक 27.01.2014 को मृत्यु हो जाने के कारण हस्तगत वाद के प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को पक्षकार बनाये जाने के लिए प्रस्तुत कर दिया है, जो स्वीकार किया जा चुका है। उक्त अंकन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी विमल को वाद संख्या 66/2012 की जानकारी तथा स्वयं को पक्षकार बनाये जाने की जानकारी एक स्वीकृत तथ्य है। प्रार्थी विमल को सम्यक तामील हुई है तथा अन्य वाद संख्या 156/2014 व 37/2014 व 38/2014 तीन दावे वाद संख्या 66/2012 के साथ साथ एक ही तारीखों में विचाराधीन चल रहे थे, जिसमें काफी समय से साक्ष्य हेतु भी पत्रावली लंबित रही है, जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा विधिवत रुप से बहस सुनी जाकर प्रार्थी विमल के पिता जगदीश द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर निर्मित तनकीयात को विधि अनुसार साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में निर्णित किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी विमल व उसके अधिवक्तागण को हमेशा से बखूबी रही है। स्वयं प्रार्थी विमल व उसके अधिवक्तागण द्वारा पत्रावली में उपस्थित होने हेतु मना किये जाने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाकर वादपत्र को विधि अनुसार निर्णित किया गया था जिसको झूठे तथ्यो के आधार पर अब पुनः प्रशासनिक स्तर पर लाना चाहते हैं जिसका प्रार्थी विमल को कोई अधिकार विधि में प्राप्त नहीं है।

मूल प्रतिवादी जगदीश की दिनांक 27.01.2014 को मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधियों को एकसाथ विचाराधीन चारों दावों में अभिलेख पर लिये गये थे तथा प्रोपर तामील विधि अनुसार करवाई गई थी। तत्पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जिसके पश्चात अन्य तीन वाद संख्या 37/2014, 38/2014, 156/2014 की सुनवाई के समय उसी समय पीठासीन अधिकारी ने उक्त वाद संख्या 66/2012 के बारे में जानकारी की तो [illegible] के अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कहा [illegible] मृत्यु हो चुकी है जिससे हमारी संविदा समाप्त हो चुकी है [illegible] पर न्यायालय ने पाया कि जगदीश के वारिसान की पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा वाद संख्या 156/2014 उनवानी डॉ. शैलेन्द्र सिंह सोलंकी बनाम जगदीश में उक्त प्रार्थी विमल द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा की मद संख्या 1 में अंकित कथनो के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

जगदीश की मृत्यु 27.01.2014 को होना व वारिसान का पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाना तथा वादपत्र की लंबित होने की विमल को पूर्ण जानकारी होना, को आधार मानकर सम्यक तामील मानी गई थी। जिसके विपरीत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथन तथ्यों के विपरीत होने से गलत है। न्यायालय द्वारा जो नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये थे उक्त नोटिसों पर गुलाब देवी पत्नी स्व0 जगदीश की अंगूठा निशानियां मौजूद है। गुलाब देवी अप्रार्थी संख्या 2 व शेष अप्रार्थी संख्या 2 व 3 शामलाती रुप से निवास करते हैं जिन्हें उक्त नोटिस की पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थी ने गुलाब देवी का कोई शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त नोटिसों पर उसकी अंगूठा निशानी मौजूद नहीं है तथा उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुए हो।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी विमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी भारी हर्जे खर्चे के साथ सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी ने जवाब दावे के साथ बतौर सबूत दस्तावेज वाद सं0 156/2014 उनवानी शैलेन्द्र बनाम जगदीश की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका न्यायालय एसीएम आमेर मु0 जयपुर की प्रतिलिपि प्रस्तुत की।

अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्यतः उन्हीं कथनों का वर्णन किया जिनका अंकन प्रार्थना पत्र में किया गया है एवं दिनांक 27.09.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को सेट असाईड कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर प्रकरण को गुण्रावगुण पर निर्णित किए जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में अंकित कथनों का वर्णन किया तथा मुख्यतः अवगत कराया कि न्यायालय में ही विचाराधीन वाद संख्या 156/2014 उनवानी डॉ0 शैलेन्द्र बनाम जगदीश में प्रतिवादी संख्या 2 विमल द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि वाद सं0 66/2012 बउनवानी डॉ0 शैलेन्द्र बनाम जगदीश में प्रतिवादी सं0 1 की हैसियत वाले जगदीश की दिनांक 27.01.2014 को मृत्यु हो चुकी है तथा हस्तगत वाद के प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को पक्षकार बनाये जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र वादी ने प्रस्तुत कर दिया है, जो स्वीकार किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी विमल को उक्त वाद में हुई कार्यवाही के बारे में पूरा ज्ञान था।

हमने विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। न्यायालय में ही विचाराधीन वाद संख्या 156/2014 उनवानी डॉ0 शैलेन्द्र बनाम जगदीश में प्रतिवादी संख्या 2 विमल द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि वाद सं0 66/2012 बउनवानी डॉ0 शैलेन्द्र बनाम जगदीश में

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 की हैसियत वाले जगदीश की दिनांक 27.01.2014 को मृत्यु हो चुकी है तथा हस्तगत वाद के प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को पक्षकार बनाये जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र वादी ने प्रस्तुत कर दिया है, जो स्वीकार किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी विमल को उक्त वाद में चल रही कार्यवाही के बारे में पूरा ज्ञान था तथा उसने कायम मुकाम की जानकारी होना स्वीकार किया है। इसके अलावा नोटिसों पर लगे अंगूठे निशानी गुलाब देवी के नहीं है इस बाबत किसी प्रकार का शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा समयावधि के बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब शासित किये जाने बाबत कोई विशिष्ट कारण वर्णित नहीं किया गया है। स्पष्टतः यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से विलंब से प्रस्तुत किया गया है एवं विलंब के बाबत विधिनुसार कोई स्पष्टीकरण प्रार्थी की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्पष्टतः समयावधि से बाधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 गलत तथ्यों पर आधारित होने व साबित न होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner